

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मानसरोवर, जयपुर(शहर)

क्रमांक:- सान्याअवि./स्था/2019/895


दिनांक:- 12-6-2019

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा अन्त्येष्टि अनुदान योजना का प्रारम्भ किया गया है। लावारिश अथवा निराश्रित का मृतक का सम्मान एवं विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार (दाह संस्कार) करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के वर्ष 2019-20 चयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। संस्था सोसायटी एक्ट में पंजीकृत हो निराश्रित एवं बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ हों संस्था को किसी भी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया हो या ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

संस्था का चयन जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जावेगा। संस्था को प्रत्येक प्रकरण में अनुदान राशी देय होगी। दिनांक 21.06.2019 तक संस्थाएँ अपना प्रस्ताव उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर के कार्यालय में जमा करावें

संस्थाएँ इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर में सम्पर्क करें।




उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर (शहर)

क्रमांक:- सान्याअवि./स्था/2019/896-97

दिनांक:- 12-6-2019

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान एनालिस्ट प्रोग्रामर सुचना एवं प्रौद्योगिक विभाग कलेक्टर जयपुर को भेजकर निवेदन है कि प्रेस नोट को कलेक्टर की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें।
2. श्रीमान सुचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जिला कलेक्टर जयपुर।



उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर (शहर)